Annexure ..03......

न्यायालय सहायक कलेक्टर/ उप जिलाधिकारी मोहन लालगंज लखनऊ

वाद - 97/ 2007-08
63

धारा- 143 जे0ए0एल0आर0 एक्ट
मौजा- गौरा
परगना- तहसील व जिला - मोहनलालगंज - लखनऊ

महाराणा प्रताप एजुकेशन सेन्टर द्वारा सचिव शैलेन्द्र भदौरिया पुत्र श्री राम सिंह भदौरिया निवासी 117/क्यू/66 शारदा नगर कानपुर ।

बनाम

उ0 प्र0 सरकार

निर्णय
=====

महाराणा प्रताप एजुकेशन सेन्टर द्वारा सचिव शैलेन्द्र भदौरिया पुत्र श्री राम सिंह भदौरिया निवासी 117/क्यू/66 शारदा नगर कानपुर ने उ0प्र0 सरकार को पक्षकार बनाते हुए एक प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 143 जे0ए0एल0आर0 एक्ट में इस आशय से प्रस्तुत कियाहै कि निम्नलिखित आराजियात स्थित ग्राम गौरा के खाता संख्या 97 व आराजी संख्या 2390/0.303 हे0, खाता सं0 938 की आराजी सं0 2393/1.399 हे0 व खाता संख्या 939 की आराजी सं0 2386/1.242 हे0 व आराजी संख्या 2387/1.581 हे0 के कुल किता रकबा 4.525 (11.18 acre) हे0 पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा भूमि के चारो ओर बाउण्ड्री वाल बनी है। तथा निर्माण कार्य चल रहाहै अत: उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किए जाने योग्य है ।

आदेश
========

उक्त विवेचना के आलोक में ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ स्थित खाता संख्या 97 की आराजी संख्या 2390/0.303 हे0 खाता सं0 938 की आराजी संख्या 2393/1.399 हे0 व खाता संख्या 939 की आराजी संख्या 2386/1.242 हे0 व 2387/1.581 हे0 का कुल रकबा 4.525 हे0 जो कि अकृषिक भूमि घोषित किए जाने योग्य है तथा शिक्षण कार्य के लिये उपयुक्त घोषित की जाती है। उक्त आदेश की एक-एक प्रति उपनिबन्धक मोहनलालगंज व तहसीलदार को सूचनार्थ भेजी जाये बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में अभिरक्षित हो। उक्त आदेश तिथि हस्ताक्षरित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक :- 14/12/07

उप जिला अधिकारी मोहन लाल गंज, लखनऊ

14/12/07
(शुभा न्त शुक्ला)
उप जिलाधिकारी
मोहन लाल गंज, लखनऊ ।